नूहं ज़िले में नए बूचड़खानों की मंज़ूरी पर आक्रोश

चर्चा में क्यों

हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा नूंह ज़िले में **21 अतिरिक्त बूचड़खानों को मंज़ूरी देने के निर्णय** से स्थानीय निवासियों में विरोध भड़क उठा है, जिसके कारण उन्हें पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है।**

मुख्य बिंदु

- **पर्यावरणीय चिंता:**
- NGT ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को वायु, जल एवं मृदा में प्रदूषण के आरोपों पर उत्तर देने के लिये नोटिस जारी किया है।
- निवासियों का आरोप है कि मौजूदा बूचड़खाने प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन **करते हैं** , जिससे स्थानीय पर्यावरण का क्षरण होता है।
- **स्वास्थ्य संबंधी जोखिम:**
- स्थानीय कार्यकर्त्ताओं की रिपोर्ट है कि इन बूचड़खानों के आस-पास के गाँवों में स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और **बूचड़खानों से निकलने वाले खून से खेत दूषित हो रहे हैं**।
- कथित तौर पर अपशिष्ट को मृदा और जल धाराओं में डाला जा रहा है, जिससे असहनीय बदबू एवं स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
- स्थानीय लोगों का कहना है कि नीतियों में विरोधाभास है, **उत्तर प्रदेश** बूचड़खानों को बंद कर रहा है, जबकि **हरियाणा नूंह में बूचड़खानों का विस्तार कर रहा है** ।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

- यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटान हेतु **राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (2010)** के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है ।
- NGT की स्थापना के साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का **तीसरा विकासशील देश बन गया है।**
- **NGT को आवेदनों या अपीलों का अंतिम रूप से निपटान दाखिल होने के 6 महीने के** भीतर करना अनिवार्य है ।
- NGT के पाँच बैठक स्थान हैं, **नई दिल्ली** इसकी मुख्य बैठक स्थान है तथा **भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अन्य चार स्थान हैं** ।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/outrage-over-approval-of-new-slaughterhouses-in-nuh-district